संख्या-59/2015/वे0आ0-2-948/दस-15-08(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 03 नवम्बर, 2015

विषय- राजकीय विभागों के आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य संवर्ग के लम्बित संवर्ग पुनर्गठन, ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराये जाने तथा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार एन0पी0ए0/एन0 पी0पी0 अनुमन्य कराये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य संवर्ग के लम्बित संवर्ग पुनर्गठन, ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराये जाने तथा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार एन0पी0ए0/ एन0पी0पी0 अनुमन्य कराये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर दिनांक 14 अगस्त, 2015 को मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार किया गया।

2- मुख्य सचिव समिति की बैठक का कार्यवृत संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-59/2015/वे0आ0-2-948(1)/दस-15-08(मु0स0स0)/2011 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 14 अगस्त, 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :––

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव वित्त – सदस्य
(ii) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग – सदस्य
(iii) श्री आर0पी0सिंह, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग – सदस्य
(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव वित्त विभाग – सदस्य सचिव

2– मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य(आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के लम्बित संवर्ग पुनर्गठन, ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराये जाने तथा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार एन0पी0ए0/एन0पी0पी0 अनुमन्य कराये जाने से सम्बन्धित विषयों को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

3– प्रादेशिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा संघ उ0प्र0 के प्रत्यावेदन दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा प्रस्तुत मॉगों का विवरण समिति के समक्ष निम्नवत् प्रस्तुत किया गया :––

(i) संघ द्वारा लम्बित संवर्गीय पुनर्गठन की मॉग की गयी है, परन्तु इस सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ii) चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के पदधारकों के कार्य स्थल कार्य एवं दायित्व के स्तर तथा वृद्धिरोध की समस्या के आधार पर चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा सेवा संवर्गों से तुलना करते हुये पी0एम0 एच0एस0 संवर्ग के समान विशिष्ट ए0सी0पी0 की व्यवस्था अनुमन्य कराने की मॉग की गयी है। इस सम्बन्ध में यह भी इंगित किया गया है कि संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों को राजकीय सेवा में आने के पूर्व पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों की भॉति स्नातक/परास्नातक उपाधि प्राप्त करने में 06 से 09 वर्ष का समय व्यतीत करना पडता है।

MSS chikitsa vibhag

(iii) चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य(आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग को वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार एन0पी0ए0 अनुमन्य कराये जाने की मॉग की गयी है।

(2) बैठक में प्रशासकीय विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रादेशिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) समूह–'क' 'ख' सेवा संवर्ग के पदों पर संशोधित / उच्चीकृत वेतनमान / पुनर्गठन का प्रकरण विभाग में विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय में उक्त संवर्ग की रिट याचिकायें भी योजित है।

(3) उक्त प्रकरण पर वित्त विभाग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :––

(i) चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग की सेवानियमावली वर्ष 2003 में अधिसूचित की गयी और इस प्रकार इस संवर्ग को एक अलग संवर्ग का दर्जा दिया गया। चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के नियुक्ति प्राधिकारी, निदेशक, आयुर्वेद है। उक्त पदधारकों की तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाती है और इस संवर्ग के अधिकारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण तथा इनके कार्य का पर्यवेक्षण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। उक्त संवर्ग के अधिकारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु बजट का प्राविधान भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के एलोपैथिक विधा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और इन केन्द्रों पर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पद धारकों की तैनाती भी की जाती है।

(ii) लम्बित संवर्ग पुनर्गठन की समस्या के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–8) के माध्यम से आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के सम्बन्ध में पदवार / संवर्गवार विस्तृत संस्तुतियॉ दी गयी है।

MSS Bhakti vibhag

उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध विवरण के अनुसार चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के वेतन विसंगति के निराकरण एवं संवर्गीय पुनर्गठन का प्रस्ताव वेतन समिति (2008) को संदर्भित हुआ था। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त समिति द्वारा चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियॉ निम्नवत् है :--

(क) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2003 के अनुसार उपलब्ध उप निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600 के पद को संयुक्त निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य पदनाम से वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600 में रखा जाय। साथ ही अपर निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600 के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधन वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2003 के अनुसार उपलब्ध अपर निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (पूर्व उप प्रस्तर के अनुसार वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700) तथा उप निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (पूर्व उप प्रस्तर के अनुसार संयुक्त निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600) के 01–01 पद, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के 20 पद आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्सा संवर्ग से उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त पदों को आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्सा संवर्ग में वापस किया जाय। साथ ही चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग में अपर निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य के 02 पद

तथा उप निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (पूर्व उप प्रस्तर में इंगित स्थिति के अनुसार संयुक्त निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600) के 06 पद, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के 40 पद, कुल 48 पद वर्तमान में सृजित चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पदों को उच्चीकृत करते हुए उपलब्ध कराये जायें। तदनुसार क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद से संयुक्त निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य के पद पर तथा संयुक्त निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य के पद से अपर निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय। साथ ही उक्त संवर्ग के पदधारकों का अधिष्ठान आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग से हटाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत किया जाय। उक्त के साथ ही यह व्यवस्था भी की जाय कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एलोपैथिक संवर्ग का अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी चिकित्सा–धिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग का कार्मिक होगा।

(ग) उक्त परिदृश्य में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा का ढ़ॉचा (पदनाम, भर्ती की प्रकिया/ अर्हता तथा पदों की संख्या) निम्नानुसार निर्धारित होगा :–

क0 सं0	पदनाम/ पदों की संख्या	वेतनमान(पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्यवेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	पद पर भर्ती का श्रोत तथा निर्धारित अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अपर निदेशक, सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी)/ 02	14300–18300 (वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–)/	मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक (सामुदायिक स्वास्थ्य) से जिन्होंने इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

2	संयुक्त निदेशक, सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) / 06	12000–16500 (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600 / –)	मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक / यूनानी अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) से जिन्होंने इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
3	क्षेत्रीय आयुर्वेदिक / यूनानी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य(आयुर्वेदिक एवं यूनानी) / 40	10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600 / –)	मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) से जिन्होंने इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
4	चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) / 1630	8000–13500 (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400 / –)	लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा। (क) किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद एवं यूनानी तिब में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 से वैद्य या हकीम के रूप में रजिस्ट्रीकरण (ग) किसी राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषद्यालय का कम से कम 06 माह का व्यवसायिक अनुभव।
	कुल– 1678		

(घ) चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग के पदों पर भविष्य में नियुक्तियां न की जायें और इस संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। परन्तु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक / यूनानी अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य), संयुक्त निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य तथा अपर निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों को इनके पोषक संवर्ग के पदधारक उपलब्ध होने तक बनाये रखा जाय। तत्समय तक यथा संशोधित सेवा नियमावली, 2003 की व्यवस्था बनाये रखी जाय।

मा0 मंत्रि–परिषद् के आदेशानुसार वेतन समिति

(2008) की उक्त संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया गया।

(iii) <u>चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के पदों पर ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराये जाने की मॉग</u> के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू की गयी। उसके पूर्व दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू थी।

एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सा सेवा संवर्ग के लिये समयमान वेतनमान की विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित थी। तदनुसार चिकित्साधिकारी वेतनमान रू0 8000–13500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के पद पर 05 वर्ष की सेवा पर रू0 10000–15200 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) का वेतनमान तथा रू0 10000–15200 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) के वेतनमान में 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर रू0 12000–16500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) का वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने की व्यवस्था थी।

जबकि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग तथा सामुदायिक स्वास्थ्य(आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के पदों पर समयमान वेतनमान की सामान्य व्यवस्था अनुमन्य थी। समयमान वेतनमान की सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 8000–13500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के पद पर 08 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक वेतनमान रू0 10000–15200 सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) , वेतनमान रू0 10000–15200 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) के 20 प्रतिशत पदों पर, 14 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक वेतनमान रू0 12000–16500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) तथा वेतनमान रू0

10000–15200 तथा रू0 12000–16500 के 15 प्रतिशत पदों (वेतनमान रू0 12000–16500 में उपलब्ध पदों की संख्या से अनधिक) पर, रू0 12000– 16500 (सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) के पदधारकों को वेतनमान रू0 14300–18300 (सादृश्य वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–) का सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य था।

एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सा सेवा संवर्ग (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग) के लिये पूर्व में निर्धारित समयमान वेतनमान की विशिष्ट व्यवस्था, संवर्ग में वृद्धिरोध की समस्या तथा उक्त सेवा के प्रति अभ्यर्थियों का आकर्षण बढ़ाये जाने के उददेश्य से दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य करायी गयी है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत संवर्ग में प्रथम स्तर के पद (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) पर नियुक्ति से 04 वर्ष की सेवा पर वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– , कुल 11 वर्ष की सेवा पर वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–, कुल 17 वर्ष की सेवा पर वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/– तथा कुल 24 वर्ष की सेवा पर वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8900/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने की व्यवस्था है।

सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के पदों पर ए0सी0पी0 की सामान्य व्यवस्था लागू है। सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के पद से 10 वर्ष, 16 वर्ष तथा 26 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराने की व्यवस्था है।

(iv) <u>वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार एन0पी0ए0 अनुमन्य कराये जाने की मॉग</u> के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

(क) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के सम्बन्ध में की गयी निम्न संस्तुतियों को केन्द्र

सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है :--

" डाक्टरों को बैण्ड वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग की मौजूदा 25 प्रतिशत की दर पर एन0पी0ए0 मिलता रहेगा वशर्ते कि वेतन + एन0पी0ए0 रु0 85000/- से अधिक न हो। एन0पी0ए0 की सुविधा किसी अन्य वर्ग को प्रदान नहीं की जा सकती। एन0पी0ए0 केवल उन पदासीन चिकित्सकों तक ही सीमित होना चाहिए जिन पदों के लिये चिकित्सीय डिग्री की न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गयी है। "

(ख) वेतन समिति (2008) द्वारा एन0पी0ए0 के सम्बन्ध में यह संस्तुति दी गयी कि सम्बन्धित विभागों/सेवा संगठनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों/मॉगों, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी एन0पी0ए0 की व्यवस्था पर विचार किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में बड़ी संख्या में वर्तमान में पद रिक्त हैं और इन पदों को भरे जाने के प्रयास इस कारण फलीभूत नहीं हो पा रहे है कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा की स्थिति केन्द्र सरकार में उपलब्ध चिकित्सीय सेवा की तुलना में कम आकर्षक है तथा परिलब्धियॉ भी कम है। समिति का मत है कि राज्य में जन स्वास्थ्य के हित को देखते हुए प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदों को अविलम्ब भरा जाना आवश्यक है अतः इस दृष्टिकोण से इस संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को परिलब्धियों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। एम0ओ0सी0एच0 के सम्बन्ध में बतायी गयी स्थिति को देखते हुऐ समिति इन चिकित्साधिकारियों को भी प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के अधिकारियों की भॉति प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिये जाने का औचित्य पाती है। उपर्युक्त स्थिति, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी एन0पी0ए0 की व्यवस्था तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुऐ

कि समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों तथा छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के चिकित्सकों/ शिक्षकों को दिनांक 30 जुलाई, 2008 से मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य कराने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है, समिति की संस्तुति है कि प्रदेश में वर्तमान में जिन चिकित्सकीय पदों पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य है उन सभी पदों पर तथा प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सृजित एम0ओ0सी0एच0 के पदों पर तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराया जाय कि पुनरीक्षित वेतन सरंचना में मूल वेतन + एन0पी0ए0 रु0 85000/– से अधिक न हो। उक्तानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की पुनरीक्षित दर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू की जाय।

(ग) समिति की उक्त संस्तुतियों को मा0 मंत्रि–परिषद् के आदेशानुसार निम्न संशोधन के साथ स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया :––

(अ) पूर्व की भॉति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सृजित एम0 ओ0सी0एच0 के पदों पर तैनात आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य न होगा।

(ब) प्रदेश में वर्तमान में जिन चिकित्सकीय पदों पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य है। उन सभी पदों पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की पुनरीक्षित दर तात्कालिक प्रभाव से लागू की जाय।

(घ) *ऐलोपैथिक पद्धति के चिकित्सा सेवा संवर्ग एवं शैक्षिक संवर्ग के पदधारकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और इसके बदले उक्त पदधारकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य*

vibhag

है/ अन्य चिकित्सा पद्धति के सेवा संवर्गो यथा आयुर्वेदिक चिकित्सीय एवं शैक्षिक संवर्ग, यूनानी चिकित्सीय एवं शैक्षिक संवर्ग, एम0ओ0सी0एच0 संवर्ग, होम्योपैथिक चिकित्सीय एवं शैक्षिक संवर्ग तथा पशु चिकित्सीय एवं शैक्षिक संवर्ग की *प्राइवेट प्रैक्टिस* पर रोक नहीं लगायी गयी है।

(ड) पूर्व उप प्रस्तर–ब में सदंर्भित अन्य चिकित्सा पद्धति के सेवा संवर्गो द्वारा एन0पी0ए0 अनुमन्य कराये जाने की मॉग की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सृजित एम0ओ0सी0एच0 के पदों पर तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य कराये जाने की स्थिति में उक्त सेवा संवर्गो की एन0पी0ए0 अनुमन्य कराये जाने की मॉग को अस्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

<u>समिति द्वारा की गयी संवीक्षा</u>–

4– उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श के आधार पर समिति द्वारा की गयी संवीक्षा निम्नवत हैं :–

(i) एलोपैथिक पद्धति के चिकित्सा सेवा संवर्ग के लिये पूर्व में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक समयमान वेतनमान की विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित थी। उक्त के दृष्टिगत तथा संवर्ग में वृद्धिरोध की समस्या एवं संवर्ग के प्रति अभ्यर्थियों का आकर्षण बढ़ाये जाने के उददेश्य से उक्त संवर्गो के लिये ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था की गयी। किसी अन्य प्रादेशिक सेवा संवर्ग के लिये ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था लागू नहीं की गयी है। अन्य प्रादेशिक सेवाओं के लिये ए0सी0पी0 की सामान्य व्यवस्था ही लागू है। उक्त के दृष्टिगत सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के पदों पर ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था लागू किये जाने का औचित्य नहीं है।

(ii) आयुर्वेदिक चिकित्सीय एवं शैक्षिक संवर्ग, यूनानी चिकित्सीय एवं शैक्षिक संवर्ग, होम्योपैथिक चिकित्सीय एवं शैक्षिक संवर्ग तथा पशु चिकित्सीय एवं शैक्षिक संवर्ग में एन0पी0ए0 अनुमन्य

MSS chikitsa vibhag

नहीं है। उक्त स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सृजित एम0 ओ0सी0एच0 के पदों पर तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

(iii) चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य(आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2003 में शामिल अपर निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600) एवं उप निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600) के 01–01 पद, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के 20 पद, कुल 22 पदों को आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्सा संवर्ग में वापस करते हुए चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग में उच्च स्तर के पद, वर्तमान में सृजित चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पदों को उच्चीकृत कर उपलब्ध कराया जाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा सभी दृष्टिकोण से परीक्षण करते हुए सुविचारित प्रस्ताव तथ्यो सहित उपलब्ध कराये जाने पर चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार किया जाना उचित होगा।

(iv) चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग के नियुक्त प्राधिकारी निदेशक आयुर्वेद होने तथा उक्त संवर्ग का प्रशासनिक नियंत्रण/कार्य का पर्यवेक्षण तथा वेतन आदि के भुगतान हेतु बजट का प्रावधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जाने की व्यवस्था के फलस्वरुप व्यवहारिक कठिनाई दृष्टिगोचर है। इस समस्या के निराकरण हेतु विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जैसा कि वेतन समिति (2008) द्वारा संवीक्षा/संस्तुति की गयी थी, सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु उक्त संवर्ग के पदधारकों का अधिष्ठान आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग से हटाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत किये जाने तथा उक्त संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किये जाने के

सम्बन्ध में विचार किया जाना अपेक्षित है। चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सभी दृष्टिकोण से परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर इस सम्बन्ध में विचार किया जाना उचित होगा।

समिति की संस्तुतियां –

5– उक्त परिदृश्य में सम्यक् विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत् हैं :––

(i) सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) संवर्ग के पदों पर ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था किये जाने तथा उक्त संवर्ग के पदधारकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

(ii) वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2003 में शामिल अपर निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600) एवं उप निदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600) के 01–01 पद तथा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/ यूनानी अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के 20 पद, कुल 22 पदों को आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के चिकित्सा संवर्ग में वापस करते हुए चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग में उच्च स्तर के पद, वर्तमान में सृजित चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पदों को उच्चीकृत कर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग के पुनर्गठन हेतु सभी दृष्टिकोण से परीक्षण कर लिया जाय और तत्क्रम में सुविचारित प्रस्ताव तथ्यों सहित उपलब्ध कराते हुए प्रकरण पुनः मुख्य सचिव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(iii) चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग के नियुक्त प्राधिकारी निदेशक आयुर्वेद होने तथा उक्त संवर्ग का प्रशासनिक नियंत्रण/कार्य का पर्यवेक्षण तथा वेतन आदि के भुगतान हेतु बजट का प्रावधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जाने की व्यवस्था के फलस्वरुप व्यवहारिक

MSN chikitsa vibhag

कठिनाई दृष्टिगोचर है। इस समस्या के निराकरण हेतु विचार किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जैसा कि वेतन समिति (2008) द्वारा संवीक्षा/संस्तुति की गयी थी, सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु उक्त संवर्ग के पदधारकों का अधिष्ठान आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग से हटाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत किये जाने तथा उक्त संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाना अपेक्षित है। चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सभी दृष्टिकोण से परीक्षण कर लिया जाय और तत्क्रम में सुविचारित प्रस्ताव तथ्यों सहित उपलब्ध कराते हुए प्रकरण पुनः मुख्य सचिव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(राजीव कुमार)
सदस्य।

(आर0पी0सिंह)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य–सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 14 अगस्त, 2015 ।